

संवत् 2075 3 दशपुर

नायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~.....~~ जिला ~~.....~~  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) के पास ~~.....~~

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~.....~~  
व भूअ.नि. ~~.....~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~.....~~ / नायब  
तहसीलदार ~~.....~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~.....~~ तहसील ~~.....~~ व  
~~.....~~ 3 दशपुर 2075-2078 में खाता संख्या ~~.....~~ 150 में  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सधत ~~.....~~ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	लकोडा	150	वा.वृ पुत्र नामा मीणा	वा.वृ लक्ष पुत्र नामा मीणा

उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
जिला उदयपुर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

दिनांक :- 03/12/21

क्रमांक-2021/707  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ~~.....~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पोलना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ~~.....~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
जिला उदयपुर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी,

ग्राम लकोडा की जमावारी सप्ल 2015-28 मे जारी

का नाम बाबू पुत्र नाना  $\frac{1}{4}$  भाति सीमा डग रिहाई है, जबकि प्राची का लती नाम के आधार पर एवं अन्त कार्रवाई मे बाबुलाल पुत्र नाना है।  
अतः बाबू पुत्र नाना जति सीमा के बजाय बाबुलाल पुत्र नाना रिहा जगता उचित है।

*[Signature]*  
01/12/21  
ILR बड़ला

*[Signature]*  
9.11.21  
[Name]

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुलाखिड पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लकोडा की खाल स. ~~150~~ 150 में खालेष्ट का नाम बाबू पुत्र नाना के बजाय बाबुलाल पुत्र नाना करने की अभिशंका की जाती है।

*[Signature]*  
3-12-21  
तहसीलदार-खैरवाड़ा  
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम लकोडा की खाल स. ~~150~~ 150 में खालेष्ट का नाम बाबू पुत्र नाना के बजाय बाबुलाल पुत्र नाना करने की स्वीकृति की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी  
*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)